राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	247/2025 बजरंग सिंह गालवा	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निबंधक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर। 3. जिला कलक्टर (भू.अ.), नागौर। 4. राजुदेवी, पटवारी, प.म. पांचौड़ी, तहसील खींवसर, नागौर।	13.01.2025	श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
2.	**248/2025** **रविन्द्र**	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निबंधक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर। 3. जिला कलक्टर (भू.अ.), नागौर। 4. रामरतन बिश्नाई, प.म. पांचौड़ी, तहसील सांजू, नागौर। ।	13.01.2025	श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 23.01.2025

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 247/2025 बजरंग सिंह गालवा बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील के अनुसार यह कि अपीलार्थी का दिनांक 18.7.2022 के द्वारा पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ। आदेश दिनांक 21.11.2022 के द्वारा मूण्डवा में पदस्थापित किया गया। अन्य आदेश दिनांक 21.11.2022 के द्वारा नागौर तहसील में पदस्थापन किया गया। उपखण्ड अधिकारी नागौर ने आदेश दिनांक 23.11.2022 के द्वारा बालवा तहसील व जिला नागौर में पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 2.1.2023 के द्वारा स्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला नागौर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। आदेश दिनांक 18.1.2023 के द्वारा 18.1.2023 को मध्यान्ह पश्चात परीक्षा पूर्व पदस्थापित पटवार मण्डल के लिए एवं इस कार्यालय के संशोधित आदेश 275 दिनांक 14.1.2023 द्वारा आवंटित पटवार मण्डल के लिए कार्यमुक्त कर संबंधित तहसीलदार के समक्ष अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी वर्तमान में पटवार मण्डल बालवा तहसील व जिला नागौर में पटवारी के पद पर कार्य कर रहा है और अपीलार्थी का अपने

पदस्थापन स्थान पर कार्य व्यवहार उत्तम है। आदेश दिनांक 9.1.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मण्डल बालवा तहसील व जिला नागौर से जिला कार्यालय भू अभिलेख कलेक्ट्रेट नागौर कर दिया गया। उक्त आदेश प्रारम्भ से ही अनुचित, अवैध व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। (अनुलग्नक–2) आदेश दिनांक 9.1.2025 को जारी करने का कोई भी प्रशासनिक कारण उपलब्ध नहीं है केवल मात्र अपीलार्थी को हेरान परेशान करने की दृष्टि से उक्त आदेश जारी किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करते हुए लगभग दो वर्ष का समय ही हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण चुनौती आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा कर दिया गया। अपीलार्थी के बच्चे जिनकी उम्र 15 व 17 वर्ष है बालवा में अध्ययनरत है मध्य सत्र में अपीलार्थी का स्थानान्तरण करने से उसके बच्चों की पढाई पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अपीलार्थी के माता पिता वृद्ध है और बीमार रहते है उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। अगर अपीलार्थी का वर्तमान स्थानानतरण आदेश निरस्त नहीं किया गया तो अपीलार्थी के माता पिता का जीवन संकटमय मय हो जायेगा।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 09.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं एवं अपीलार्थी को पटवारी के पद पर पटवार मण्डल बालवा तहसील व जिला नागौर में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न की जावे एवं न ही अपीलार्थी को वहाँ से मिलने वाले वेतन–भत्ते व अन्य लाभों से वंचित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में

अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 247/2025 बजरंग सिंह गालवा बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)